उत्तर प्रदेश शासन
महिला कल्याण अनुभाग-1
संख्या-22/2024/706495/2024/60-1099/131/2023
लखनऊ::दिनांक:: 31 जुलाई, 2024

अधिसूचना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा-27 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके और उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियमावली, 2019 के नियम-87 के अधीन अधिसूचना संख्या-979/60-1-21-1/13(69)/04, दिनांक-23.07.2021 द्वारा प्रत्येक जिले में 03 वर्ष के लिए एक बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति का आदेश श्री राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदान किया गया था।

2- उक्त समिति का कार्यकाल दिनांक-22.07.2024 को समाप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल द्वारा बाल कल्याण समिति की चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तथा अधिसूचना निर्गत होने तक वर्तमान बाल कल्याण समिति का कार्यकाल एतद् द्वारा बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(सुधा वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज को इस आशय से प्रेषित कि वे राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कर इसकी 500 प्रतियां महिला कल्याण अनुभाग-1, बापू भवन, द्वितीय तल, कक्ष संख्या-240 तथा 500 प्रतियां निदेशक, महिला कल्याण, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3- सदस्य सचिव, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/श्रम/गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, महिला कल्याण, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस अधिसूचना की प्रतियां समस्त जिलाधिकारियों/जिला जजों/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों/जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उ0प्र0।
7- समस्त बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।
8- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवगतार्थ।
9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।